न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 07 / 2021 / जैसलमेर

अपीलांट रेस्पोडेंटगण

1. चंदनसिंह पुत्र बखतसिंह वगै. **बनाम** 1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैसलमेर वगै.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम

उपस्थिति

1. वकील श्री पवन सिंहल अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री दानसिंह मेहता, श्री धमेन्द्रसिंह मेहता, श्री परवेज खान रेस्पोडेंट संख्या 05 से 07 10, , 14, 15, 22 का.मु की ओर से।
3. वकील श्री राणाराम गौड़ रेस्पोडेंटस संख्या 02, 08, 24, 25 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः–04.01.2023

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांटगण की अपील अन्दर म्याद पेश है क्योंकि अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.01.1976 अपीलांटगण के पूर्वज गोरधनसिंह व बखतावरसिंह को सुनवाई का अवसर दिये बिना ईकतरफा रूप से पारित किया है जिसकी जानकारी गोरधनसिंह व बखतावरसिंह को ततसमय नहीं हो पाई ओर अपीलांट आज दिन तक अपने पूर्वजों के नाम रेगुलर सेटलमेंट के वक्त दर्ज हुई भूमि खसरा संख्या 215, 242, 542 कुल रकबा 280.18 बीघा व खसरा संख्या 225, 451, 452 व 49 कुल रकबा 598.16 बीघा कुल रकबा 879.14 बीघा पर वक्त सेटलमेंट से काबिज है लेकिन अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.01.1976 की आड़ में राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त भूमि अन्य उतरदातागण को आवंटन / बैचान होने के कारण आज से अर्सा एक माह पूर्व जब अन्य उतरदातागण ने अपीलांटगण के कब्जे काश्त की भूमि में जबरन दखलदाजी व हस्तक्षेप कर अपीलांटगण को बेदखल करने का प्रयास किया गया तब अपीलांटस द्वारा अपनी भूमि बाबत हल्का पटवारी व राजस्व अधिकारियों ने अपीलांटस को यह अवगत करवाया की उक्त भूमि जरिये सिलिंग आदेश दिनांक 13.01.1976 के गोरधनसिंह व बखतावरसिंह की खातेदारी समाप्त कर राज्य सरकार के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई और राज्य सरकार द्वारा नये सिरे से भूमि शेष उतरदातागण

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

को आवंटन/बैचान कर दी गई है तब अपीलांटस ने आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.1976 की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये संबंधित न्यायालय में दिनांक 25.11.2021 को आवेदन प्रस्तुत किया जो तैयार होकर अपीलांटगण को दिनांक 29.11.2021 को प्राप्त हुई तब सर्वप्रथम अपीलांटगण को आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.1976 की जानकारी हुई और प्रमाणित प्रति प्राप्त होने से उक्त अपील अन्दर मियाद पेश हुई। अपीलांटस द्वारा हस्तगत अपील पेश करने में जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई। हस्तगत प्रकरण को तकनीकी बिंदुओं पर निस्तारण करने की बजाय गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अपील के तथ्योनुसार एवं प्रकरण के तथ्योनुसार नरमाई का रूख रखते हुए। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 05 से 07 10, , 14, 15, 22 का.मु ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर अपनी प्रारंभिक आपतियां पेश करते हुए बहस में बताया कि अपीलकर्ता ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 13.01.1976 को यानि तकरीबन 46 वर्ष के बाद बेबुनियाद आधारों पर यह अपील पेश की है। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांटस को वास्तविक जानकारी दिनांक 13.01.1976 को हो गई थी, क्योंकि इस वाद की पूरी प्रक्रिया की जानकारी अपीलांटस को रही है। अपीलकर्ता को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का ज्ञान किस प्रकार, किसके माध्यम से हुआ इसका कोई उल्लेख अपने प्रार्थना–पत्र में नहीं किया गया है। अपीलकर्ता ने असाधारण विलम्ब का कोई न्यायोचित कारण अंकित नहीं किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के कई न्यायिक दृष्टांतों में यह अवधारित किया जा चुका है कि असाधारण विलम्ब का यदि कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया जाता है तो म्याद के बिन्दु पर ही प्रकरण का निस्तारण सर्वप्रथम किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है। अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंटस संख्या 02, 08, 24, 25 ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर अपनी प्रारंभिक आपतियां पेश करते हुए बहस में बताया कि अपीलकर्ता ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 13.01.1976 को यानि तकरीबन 46 वर्ष के बाद बेबुनियाद आधारों पर यह अपील पेश की है। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांटस को वास्तविक जानकारी दिनांक 13.01.1976 को हो गई थी,

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

क्योंकि इस वाद की पूरी प्रक्रिया की जानकारी अपीलांटस को रही है। अपीलकर्ता को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का ज्ञान किस प्रकार, किसके माध्यम से हुआ इसका कोई उल्लेख अपने प्रार्थना–पत्र में नहीं किया गया है। अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.01.976 को हस्तगत प्रकरण में निर्णय पारित किया गया। सिलिंग आदेश 13.01.1976 की पालना में अपीलाधीन आराजी राज्य सरकार के नाम दर्ज हुई उसके पश्चात खसरा संख्या 452 व 215 का अलोटमेंट अपीलांट को कर गैर खातेदारी दर्ज करने के बाद 1986 में खातेदारी प्रदान की गई। अपीलाधीन आराजी राज रकबा घोषित होने के पश्चात अन्य पक्षकारान को आवंटित की जा चुकी है। अपीलाधीन आराजी पर वक्त आवंटन से आज तक रेस्पोडेंटस का कब्जा काश्त वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड से साबित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांटगण द्वारा पेश धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में कहीं पर इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलांटगण अपीलाधीन आदेश की जानकारी इतने समय तक कैसे नहीं हुई। अपीलांट द्वारा अपील तकरीबन 46 वर्ष की देरी के बाद पेश की गई। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है। अतः अपील अपीलांट मियाद के बिंदु पर खारिज की जाती है।

(प्रतिष्ठा मिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 04.01.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर